<u>प्रतिलिपिः –</u> राजीव कुमार, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) कोरबा के न्यायालय में **अभियुक्त मनहरण दास द्वारा प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन क्रमांक–375/2022 अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. में** पारित आदेश दिनांक 05–11–2022.

मनहरण दास पिता करम दास उम्र लगभग 42 वर्ष
निवासी– कोहड़िया, ढेंगूरनाला चौकी सीएसईबी
तहसील व जिला–कोरबा (छ0ग0) **—– आवेदक/अभियुक्त**

//<u>विरूद्ध//</u>

छ0ग0 शासन द्वारा पुलिस थाना कोतवाली,
जिला कोरबा (छ0ग0) **——– अभियोजन/अनावेदक**

05-11-2022 **उपस्थितः** आवेदक/अभियुक्त मनहरण दास की ओर से **श्री कमलेश साहू** अधिवक्ता।
राज्य की ओर से **श्री कमलेश उपाध्याय** विशेष लोक अभियोजक।

प्रकरण आज मेरे समक्ष जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. पर उभय पक्षों के विस्तृत तर्क सुने गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 में लिये गये आधार एवं उनकी ओर से उपस्थित विद्वान बचाव अधिवक्ता के मौखिक तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस चौकी रामपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा के द्वारा एफ.आई.आर नंबर 804/2022 अंतर्गत धारा 457, 380, 34 भा0दं0सं0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से आवेदक/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है उसे शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई

अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में चले जाने से उसके परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है तो आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का पालन करने को तत्पर है। अंततः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं., द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय में एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष न ही लंबित है और न ही निराकृत हुआ है, इस तथ्य के संबंध में आवेदक की ओर से उसके मित्र **श्री रवि साहू** द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से **श्री कमलेश उपाध्याय** विशेष लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक/अभियुक्त के उक्त जमानत आवेदन पत्र का घोर विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के प्रार्थी मुकतेश राठौर द्वारा चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा, जिला कोरबा में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वह इंडस्ट्रिल खरमोरा में मानक इंटरप्राइजेस का संचालन करता है। दिनांक 04–09–2022 को प्रार्थी अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। जो आज सुबह 06:00 अपने फैक्ट्री पर गया तो देखा कि फैक्ट्री के अंदर में रखा लोहे का गोल प्लेट जिसे प्लांट के लिए झारा बनाने का काम आता है, लगभग 150 प्लेटें नहीं थी। जो आस–पास में देखने पर एक दो प्लेट उसके फैक्ट्री के दीवाल के किनारे पड़े हुए दिखे, कोई अज्ञात चोर इसके फैक्ट्री के दीवाल को फांदकर लोहे का प्लेट चोरी कर ले गया है। जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रूपये की होगी। इसी प्रकार इसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ अग्रवाल के फैक्ट्री से एंगल, सर्वमंगला इंजीनियरिंग से लोहे का पाईप

रोलर, पीतल के बुश, संजय इंडस्ट्री से एंगल, रोलर इत्यादि चोरी हुआ है। इस प्रकार उनके इंडस्ट्रिल एरिया से लगभग 2 लाख रूपए का सामान चोरी हुआ है। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर चौकी रामपुर थाना कोतवाली कोरबा में एफ.आई.आर क्रमांक 804/2022 दर्ज की जाकर, विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 457, 380, 411, 34 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त **मनहरण दास** दिनांक 05–09–2022 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण हो चुकी है एवं अंतिम प्रतिवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के सहअभियुक्त राजेश कुमार साहू को माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त के आवेदन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त मनहरण दास निवासी ढेंगुरनाला कोहड़िया चौकी सी0एस0ई0बी0 थाना कोतवाली कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0) का निवासी दर्शित हो रहा है।

अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त **मनहरण दास** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अतंर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त Trial Court की संतुष्टि योग्य सक्षम जमानत एवं स्वयं का बंधपत्र प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे। Trial Court यदि चाहे तो अन्य कोई शर्त/शर्ते भी अधिरोपित कर सकती है जो कि प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार Trial Court को उचित प्रतीत हो।

जमानत आवेदन का परिणाम दर्ज कर नियमानुसार अभिलेखागार में जमा की जावे।

सही/–
(राजीव कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस.सी&एस.टी.(पी.ए.) एक्ट
कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)

प्रतिलिपिः–

1. न्यायालयः– श्री कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0) को मूल अभिलेख के साथ आदेश की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
(राजीव कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस.सी&एस.टी.(पी.ए.) एक्ट
कोरबा, जिला कोरबा (छ0ग0)